उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या-16/2018/1875/77-3-18-37 एम/12

लखनऊः दिनांकः 23 मई, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय पथकर अधिनियम,1851(अधिनियम संख्या 8 सन् 1851) की धारा 9 के साथ पठित धारा 2 के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, सार्वजनिक निजी भागीदारी/ इंजिनियरिंग प्रोक्योरमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्सन/अन्य किसी रीति से निर्मित और राज्य सरकार या उसके द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किन्हीं अन्य प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन एक्सप्रेसवेज और समस्त सेतुओं, जिनके अन्तर्गत इण्टरचेन्जेज, उपरिगामी सेतु, रेलवे उपरि सेतु और अधो सेतु, एक्सप्रेसवेज के उपमार्ग लाइन भी हैं, का प्रयोग करने वाले लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य, उत्तर प्रदेश के विधान सभा के सदस्य और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य, वाहनों के प्रभारियों या इस निमित्त रियायत करार/करार के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत रियायतग्राही/ ऐजेन्सी से प्रभारित की जाने वाली फीस और उनसे उद्ग्रहीत किये जाने वाले या वसूल किये जाने वाले पथकर को विनियमित करने की दृष्टि से "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली,2010" को संशोधित करते हैं।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) (पंचम संशोधन), नियमावली, 2018 के संबंध में।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे (पथकर उद्ग्रहण और फीस निर्धारण तथा उसकी वसूली) नियमावली, 2010 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 11 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान नियम	एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
<u>11- फीस के संदाय से छूट</u> (1) ऐसे यांत्रिक यान से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जायेगी:- (क) जो निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैः- (एक) भारत के राष्ट्रपति; (दो) भारत के उपराष्ट्रपति; (तीन) भारत के प्रधानमंत्री; (चार) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति; (पांच) राज्यपाल; (छः) उपराज्यपाल; (सात) मुख्यमंत्री; (आठ) केन्द्रीय और राज्य विधानमण्डल के अधिकारिता रखने वाले पीठासीन अधिकारी; (नौ) लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मण्डलों के अधिकारिता से युक्त विरोधीदल के नेता;	<u>11- फीस के संदाय से छूट</u> (1) ऐसे यांत्रिक यान से फीस उद्ग्रहीत और संग्रहीत नहीं की जायेगी:- (क) जो निम्नलिखित को ले जा रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैः- (एक) भारत के राष्ट्रपति; (दो) भारत के उपराष्ट्रपति; (तीन) भारत के प्रधानमंत्री; (चार) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति; (पांच) राज्यपाल; (छः) उपराज्यपाल; (सात) मुख्यमंत्री; (आठ) केन्द्रीय और राज्य विधानमण्डल की अधिकारिता रखने वाले पीठासीन अधिकारी; (नौ) लोक सभा, राज्य सभा और राज्य विधान मण्डलों की अधिकारिता रखने वाले विरोधीदल के नेता;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(दस) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;	(दस) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश;
(ग्यारह) राज्य के विधान परिषद के सभापति;	(ग्यारह) राज्य विधान परिषद के सभापति;
(बारह) राज्य के विधान सभा के अध्यक्ष;	(बारह) राज्य विधान सभा के अध्यक्ष;
(तेरह) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश;	(तेरह) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश;
(चौदह) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश;	(चौदह) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश;
(पंद्रह) भारत सरकार के मंत्री;	(पंद्रह) भारत सरकार के मंत्री;
(सोलह) उ0प्र0 सरकार के मंत्री;	(सोलह) उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री; **(सोलह) (क)** लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य **(सोलह) (ख)** उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य **(सोलह) (ग)** उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य
(सत्रह) उ0प्र0सरकार के सचिव और आयुक्त;	(सत्रह) उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव और आयुक्त;
(अठ्ठारह) राज्य के दौरे पर आये उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;	(अठ्ठारह) राज्य के दौरे पर आये उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति;
(उन्नीस)सी.डी. प्रतीक के साथ कार का प्रयोग करने वाले भारत में संस्थापित विदेशी मिशनों के प्रधान;	(उन्नीस)सी.डी. प्रतीक के साथ कार का प्रयोग करने वाले भारत में संस्थापित विदेशी मिशनों के प्रधान;
(बीस) समस्त सरकारी वाहन।	(बीस) समस्त सरकारी वाहन।
(ख) सरकारी कार्य हेतु प्रयुक्त यानः-	(ख) सरकारी कार्य हेतु प्रयुक्त यानः-
(एक) रक्षा मंत्रालय जिसमें वो भी सम्मिलित जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम 1901और तद्धीन बनाये गये नियमों, जो नौसेना को भी विस्तारित किये गये हैं,के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हों।	(एक) रक्षा मंत्रालय जिसमें वे सम्मिलित हैं जो भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम 1901और तद्धीन बनाये गये नियमों, जो नौसेना को भी विस्तारित किये गये हैं,के उपबन्धों के अनुसार छूट के पात्र हों;
(दो) अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस वर्दी में केन्द्रीय और राज्य सषस्त्र बल;	(दो) अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस वर्दी में केन्द्रीय और राज्य सशस्त्र बल;
(तीन) ड्यूटी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट;	(तीन) ड्यूटी पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट;
(चार) ऐसे व्यक्ति,जिसके लिए कार्यस्थल के संबंध में अपने सांविधिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एक्सप्रेसवे का प्रयोग अपेक्षित है;	(चार) ऐसे व्यक्ति,जिसके लिए कार्यस्थल के संबंध में अपने सांविधिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एक्सप्रेसवे का प्रयोग अपेक्षित है;
(पांच) अग्निशमन विभाग या संगठन;	(पांच) अग्निशमन विभाग या संगठन;
(छः) सम्बन्धित एक्सप्रेस वे प्राधिकरण,के अधिकारी और;	(छः) सम्बन्धित एक्सप्रेस वे प्राधिकरण के अधिकारी और;
(ग) एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त यान।	(ग) एम्बुलेंस के रूप में प्रयुक्त यान।

एम0पी0 अग्रवाल
सचिव
अवस्थापना एवं औद्योगिक
विकास विभाग

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-16/2018/1875(1)/77-3-18-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री,उ0प्र0,इलाहाबाद को उपर्युक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस निदेश के साथ प्रेषित कि आगामी अंक के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित कराने का कष्ट करें और तत्पश्चात गजट की 250 प्रतियां शासन को उपलबध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-16/2018/1875(1)/77-3-18-तद्दिनांक।

उपर्युक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य कार्यपालक अधिकारी,उ0प्र0एक्सप्रेसवेज द्योगिक विकास प्राधिकरण, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
2- जिलाधिकारी-लखनऊ,उन्नाव आगरा,इटावा,मैनपुरी,फिरोजाबाद,कानपुर नगर,कन्नौज,हरदोई,एवं औरैया ।
3- संयुक्त निदेशक,मुद्रण एवं लेखन सामग्री,उ0प्र0 राजकीय मुद्रणालय,ऐशबाग,लखनऊ को उपर्युक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस निदेश के साथ प्रेषित कि आगामी अंक के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित कराने का कष्ट करें और तत्पश्चात गजट की 250प्रतियां शासन को उपलबध कराने का कष्ट करें।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।